

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।
पत्रांक २५२२ / 14-10, अलीगढ़: दिनांक: जनवरी, ०८, 2020

सेवा में,

प्रबन्धक (रिटेल सेल्स),
इण्डियन ऑयल कार्पो० लि० (एम०डी०),
मुरादाबाद मण्डल कार्यालय,
कोल्ड स्टोरेज के सामने, दिल्ली रोड़, एन०एच० 24,
पोस्ट पकवाड़ा, मुरादाबाद।

विषय:- कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत जनपद अलीगढ़ में अलीगढ़-मथुरा रोड़ (एन०एच०-80) किमी० 05 दांयी पटरी खसरा सं०-30 ग्राम-दौलताबाद, तहसील-कोल, जनपद-अलीगढ़ में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.07595 हे० संरक्षित वनभूमि का बिना पातन के गैर वानिकी प्रयोग के अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ- विशेष सचिव, उ०प्र० शासन, लखनऊ का पत्रांक पी-98/81-2-2019-800 (144)/2019 दिनांक 19.12.2019, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ का पत्रांक 1240/11-सी-FP/UP/Others/26736/2017 दिनांक 20.12.2019

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में संदर्भित पत्र द्वारा लगाई गयी कमियों का निराकरण करने का कष्ट करें-

- स्पष्ट करें कि उल्लंघन कब से किया गया है।
- प्रस्ताव के पृष्ठ-54, 56 पर प्रयोक्ता का हस्ताक्षर नहीं है।
- पृष्ठ सं० 57 पर रक्षित वन संरक्षक, अलीगढ़ के पत्र दिनांक 01.10.2019 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी को नोटिस दी गयी है कि 60 दिनों के अन्दर अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में विधिक कार्यवाही किये जाने का कथन किया गया है। इस संबंध में अवगत कराया जाना है कि उक्त अवधि समाप्त हो गयी है परन्तु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 60 दिनों में अपना पक्ष रखा गया है कि नहीं इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है।
- रक्षित ले-आउट प्लान पठनीय नहीं है।

✓ प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक २५२२ / दिनांकित।

प्रतिलिपि: वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

✓ प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

o/c